

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आषाढ 13, शुक्रवार, शाके 1936-जुलाई 4, 2014 <i>Asadha 13, Friday, Saka 1936-July 4, 2014</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 4, 2014**

**संख्या प. 2 (14) विधि/2/2014:**—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014**

**(2014 का अधिनियम संख्यांक 11)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई]

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन.-** (1) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 27), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम इस अधिनियम

के प्रारम्भ की तारीख से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**3. संशोधन.-** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

**4. मूल अधिनियम का प्रोद्धारण.-** मूल अधिनियम को राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्घृत किया जायेगा।

### अनुसूची

#### (धारा 3 देखिए)

**दीर्घ नाम.-** दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**धारा 1.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**धारा 2.-** विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ण) “विश्वविद्यालय” से धारा 3 के अधीन निगमित राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अभिप्रेत है;”।

**धारा 3.-** उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर” प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, July 4, 2014**

**No. F. 2 (14) Vidhi/2/2014.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Matsya Vishwavidyalaya, Alwar (Naam Parivartan) Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 11):-

**(Authorised English Translation)  
THE MATSYA UNIVERSITY, ALWAR  
(CHANGE OF NAME) ACT, 2014  
(Act No. 11 of 2014)**

[Received the assent of the Governor on the 3<sup>rd</sup> day of July, 2014]

*An*

*Act*

*to change the name of the Matsya University, Alwar and to make certain amendments in the Matsya University, Alwar Act, 2012.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Matsya University, Alwar (Change of Name) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

**2. Change of name of the Matsya University, Alwar.**- (1) The name of the Matsya University, Alwar incorporated under the Matsya University, Alwar Act, 2012 (Act No. 27 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.

(2) Any reference to the Matsya University, Alwar in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or

other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

**3. Amendment.-** (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule to this Act.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

**4. Citation of the principal Act.-** The principal Act may be cited as the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar Act, 2012.

### THE SCHEDULE

(See section 3)

**Long Title.-** In long title, for the existing expression "*Matsya University at Alwar*", the expression "*Raj Rishi Bhartrihari Matsya University at Alwar*" shall be substituted.

**Section 1.-** In sub-section (1), for the existing expression "the Matsya University, Alwar", the expression "the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar" shall be substituted.

**Section 2.-** For the existing clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

"(o) "University" means the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar incorporated under section 3;"

**Section 3.-** In sub-section (1), for the existing expression "the Matsya University, Alwar ", the expression "the Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**